

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2024—भाद्र 14, शक 1946

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. 13096-166-इक्कीस-अ(प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२४

### मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४

[ दिनांक 3 सितम्बर, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति, "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 5 सितम्बर, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "या प्रिंट मीडिया" का लोप किया जाए. धारा ३ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. 13096-166-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 19 OF 2024

**THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES)  
AMENDMENT ACT, 2024**

[ Received the assent of the Governor on the 3<sup>rd</sup> September, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5<sup>th</sup> September, 2024.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Amendment Act, 2024.

**Amendment  
of section 3.**

2. In clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964 (No. 13 of 1964), the words "or print media" shall be omitted.